राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम /2018–19/ 12276 दिनांक 20/2/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिला

जिला शिक्षा अधिकारी
प्राशि/माशि
समस्त जिले।

पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
समस्त पंचायत।

विषय :– माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बालसभा आयोजन संबंधी सूचना की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालय के पत्रांक रा.स्कू.शि.प./जय/शनिवारीय कार्यक्रम/2018–19/11533 दिनांक 01.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। बाल सभाओं के प्रभावी आयोजन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में निर्देशित है कि –

1. जिले के समस्त विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करावे।
2. बाल सभा हेतु आयोजन स्थल सार्वजनिक एवं सुरक्षित हो साथ ही विद्यालय के कैचमेंट एरिया को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर आयोजन स्थल का परिवर्तन भी किया जावे।
3. विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों एवं अध्यापन करवाने वाले समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
4. विद्यालयों में बाल संसद का गठन किया जावे तथा गठित बाल संसद एवं विभिन्न क्लब यथा विज्ञान, पर्यावरण, स्वच्छता, सांस्कृतिक आदि के विद्यार्थी सदस्यों के माध्यम से अभिभावकों, ग्रामीणजनों को बाल सभा में उपस्थिति हेतु आमंत्रित किया जावे।
5. विद्यालय के संस्था प्रधान एवं अध्यापकगण द्वारा अभिभावकों, ग्रामीणजनों, जनप्रतिनिधियों (सरपंच, वार्डपंच, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य, प्रधान,जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी) आदि को बाल सभा आयोजन की जानकारी एवं उपस्थिति हेतु आमंत्रण दिया जावें।

www.rajteachers.com

6. विद्यालय एवं विद्यालय के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी बालसभा में दी जावे।
7. विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा उनकी उपलब्धियों/अनुभवों पर व्याख्यान भी रखा जावे। जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी उपलब्धियों हेतु प्रयास करने हेतु प्रेरणा मिले।
8. बालसभा आयोजन की सूचना संबंधी मॉडयूल शाला दर्पण के विद्यालय टैब में बालसभा संबंधी मॉडयूल पीईईओ/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य लॉगिन पर प्रारंभ कर दिया गया है। मॉडयूल में साप्ताहिक प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. मॉडयूल प्रविष्टि की रिपोर्ट मासिक आधार पर प्राप्त होगी।
10. मॉडयूल में प्रविष्टि का संबंधित ब्लॉक एवं जिला स्तर से पर्याप्त पर्यवेक्षण किया जाये।

समस्त अधिकारी शाला दर्पण पर प्रविष्टि का पर्यवेक्षण एवं उपुर्यक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा
परिषद, जयपुर

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/ **शनिवारीय कार्यक्रम** /2018–19/12277 दिनांक 20/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–I/II राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपायुक्त समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
8. कार्यक्रम अधिकारी (सामुदायिक गतिशीलता) समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा
परिषद, जयपुर

www.rajteachers.com